अनुदान संख्या 92 - वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 92 –MINISTRY OF TEXTILES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**				
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	5478,94,00	13300,24,00	12817,41,14	-482,82,86
पूरक	Supplementary	7821,30,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				289,48,70
पूंजीगत :	**Capital:**				
स्वीकृत -	Voted-				
मूल	Original	129,14,00	237,67,00	229,49,01	-8,17,99
पूरक	Supplementary	108,53,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				2,00,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय -आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1542.00	1575.58	1368.43	-207.15
पु.	R.	33.58			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	47050.00	..	..	..
पु.	R.	– 47050.00			
मुख्य शीर्ष "2851"	Major Head "2851"				
ग्राम तथा लघु उद्योग	Village and Small Industries				
मू.	O.	119942.00			
पू.	S.	3.00	126196.95	113572.86	-12624.09
पु.	R.	6251.95			
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	369358.00			
पू.	S.	775465.00	1150308.77	1144024.36	-6284.41
पु.	R.	5485.77			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को	Grants-in-aid to				
सहायता अनुदान	State Governments				
मू.	O.	9901.00			
पू.	S.	6467.00	22466.00	22273.32	-192.68
पु.	R.	6098.00			
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को	Grants-in-aid to Union				
सहायता अनुदान	TerritoryGovernments				
मू.	O.	1.00			
पू.	S.	195.00	498.00	495.44	-2.56
पु.	R.	302.00			

(I) ₹47722.00 लाख का प्रावधान तेईस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से ₹47550.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग" -

(i) "एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम" - ₹2000.00 लाख;

(ii) "हथकरघा बुनकर बृहद् कल्याण स्कीम"- ₹6600.00 लाख;

(iii) "विपणन तथा निर्यात संवर्धन स्कीम"- ₹1500.00 लाख;

(iv) "विविधीकृत हथकरघा विकास स्कीम" - ₹500.00 लाख;

(ख) "ग्राम तथा लघु उद्योग - हस्तशिल्प उद्योग" -

(i) "डिजाइन और तकनीकी उन्नयन" - ₹400.00 लाख;

(ii) "कल्याण और अन्य स्कीमें" - ₹2100.00 लाख;

(iii) "बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना" - ₹1700.00 लाख;

(iv) "विपणन सहायता और सेवाएं" - ₹1600.00 लाख;

(v) "अनुसंधान और विकास" - ₹200.00 लाख;

(vi) "मानव संसाधन विकास" - ₹400.00 लाख;

(ग) "ग्राम तथा लघु उद्योग - रेशम उत्पादन उद्योग - रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान" - ₹7000.00 लाख;

(I) Provision of ₹47722.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty three heads; of these ₹47550.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Village and Small Industries- Handloom Industries"-

(i) "Integrated Handloom Development Scheme"- ₹2000.00 lakhs;

(ii) "Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme"- ₹6600.00 lakhs ;

(iii) "Marketing and Export Promotion Scheme"-₹1500.00 lakhs;

(iv) "Diversified Handloom Development Scheme"-₹500.00 lakhs;

(b) "Village and Small Industries- Handicrafts Industries"-

(i) "Design and Technical Upgradation"- ₹400.00 lakhs;

(ii) "Welfare and Other Schemes" - ₹2100.00 lakhs;

(iii) "Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana"- ₹1700.00 lakhs;

(iv) "Marketing Support and Services"- ₹1600.00 lakhs;

(v) "Research and Development"- ₹200.00 lakhs;

(vi) "Human Resource Development"- ₹400.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries - Sericulture Industries - Grants towards Development of Silk Industry"- ₹7000.00 lakhs;

(घ) "उपभोक्ता उद्योग - अन्य - पटसन प्रौद्योगिकी मिशन"- ₹800.00 लाख; और

(ङ) "ग्राम तथा लघु उद्योग - अन्य व्यय - वृहत् समूह का विकास" - ₹500.00 लाख।

उपर्युक्त तेरह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(च) "उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र" -

(i) "परिधान पार्क के लिए एकीकृत स्कीम" - ₹5000.00 लाख;

(ii) "प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम" - ₹13250.00 लाख; और

(iii) "राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान" - ₹3500.00 लाख;

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2852" - "उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र - विदेशी निवेश संवर्धन स्कीम" - ₹500.00 लाख परियोजना आस्थगित किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - वस्त्र मंत्रालय" के अंतर्गत ₹158.84 लाख की बचत (₹1527.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने तथा विज्ञापन और प्रचार के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(d) "Consumer Industries- Others – Jute Technology Mission"- ₹800.00 lakhs; and

(e) "Village and Small Industries - Other Expenditure - Development of Mega Clusters"- ₹500.00 lakhs.

Provisions under the above thirteen heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(f) "Consumer Industries - Textiles"-

(i) "Integrated scheme for Apparel Park"- ₹5000.00 lakhs;

(ii) "Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)"- ₹13250.00 lakhs; and

(iii) "National Institute of Fashion Technology" – ₹3500.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from North Eastern States and Sikkim.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries – Textiles – Foreign Investment Promotion Scheme" - ₹500.00 lakhs - due to postponement of the project.

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Ministry of Textiles" - saving of ₹158.84 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1527.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and requirement of less funds towards Advertising and Publicity.

(III) Under Major Head "2851"- savings occurred the following heads:-

(का) "हथकरघा उद्योग - संग्रहालय" - ₹142.26 लाख की बचत (₹524.60 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने और कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(खा) "हथकरघा उद्योग" -

(क) "प्रशिक्षण और विस्तार" - ₹329.05 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, कार्यान्वयन अभिकरणों से कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने और किफायती उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ख) "कल्याण और अन्य स्कीमें" - ₹3738.35 लाख की बचत (₹6760.30 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग/व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) "बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना" - ₹679.04 लाख की बचत (₹5582.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं; और

(घ) "विपणन सहायता और सेवाएं" - ₹437.94 लाख की बचत (₹5900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें पूर्वोत्तर राज्यों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न हाने के कारण हुईं।

(ङ) "अनुसंधान और विकास" - ₹323.70 लाख की बचत (₹1000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) "बिजलीकरघा उद्योग" -

(क) "बिजलीकरघा तकनीकी सेवा केंद्र" -₹208.16 लाख की बचत (₹1380.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Handloom Industries - Museum"- saving of ₹142.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹524.60 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts and less receipt of viable proposals.

(B) "Handicrafts Industries"-

(a) "Training and Extension"- saving of ₹329.05 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less receipt of viable proposals from implementing agencies and economy measures.

(b) "Welfare and Other Schemes" - saving of ₹3738.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6760.30 lakhs) was due receipt of less demand/non-receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(c) "Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana" – saving of ₹679.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5582.00 lakhs); and

(d) "Marketing Support and Services" – saving of ₹437.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5900.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of viable proposals from North Eastern States.

(e) "Research and Development" – saving of ₹323.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1000.00 lakhs);

(C) "Powerloom Industries"-

(a) "Technical Service Centres for Powerloom" – saving of ₹208.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1380.00 lakhs);

(ख) ''समूह वर्कशेड स्कीम''- ₹275.40 लाख की बचत (₹450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''ऊन विकास बोर्ड'' - ₹425.94 लाख की बचत (₹1650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुईं; और

(ख) ''वृहत् समूहों का विकास'' -₹11092.40 लाख की बचत (₹14500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''वस्त्र'' -

(क) ''वस्त्र आयुक्त'' - ₹102.22 लाख की बचत (₹2084.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण हुई।

(ख) ''वस्त्र श्रमिक पुनर्वास स्कीम'' - ₹1271.51 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने और व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ग) ''अनुसंधान और विकास सहायता'' - ₹10690.46 लाख की बचत (₹23464.88 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(घ) ''कपास प्रौद्योगिकी मिशन'' - ₹7714.67 लाख की बचत (₹14100.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) ''मानव संसाधन विकास स्कीम'' - ₹8977.00 लाख की बचत (₹13149.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(b) "Group Workshed Scheme-saving of ₹275.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs);

(D) "Other Expenditure"-

(a) "Wool Development Board" – saving of ₹425.94 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1650.00 lakhs); and

(b) "Development of Mega Clusters"- saving of ₹11092.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14500.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to non-receipt of viable proposals from the implementing agencies.

(IV) Under Major Head "2852" - "Consumer Industries"- savings occurred the following heads:-

(A) "Textiles"-

(a) "Textile Commissioner" – saving of ₹102.22 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2084.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Textile Labour Rehabilitation Scheme" – saving of ₹1271.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to receipt of less claims and non-receipt of viable proposals.

(c) "Assistance for Research and Development" – saving of ₹10690.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23464.88 lakhs);

(d) "Cotton Technology Mission"- saving of ₹7714.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14100.00 lakhs);

(e) "Human Resource Development Scheme"– saving of ₹8977.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13149.00 lakhs); and

(च) ''पटसन सहित तकनीकी वस्त्र'' - ₹2700.00 लाख की बचत (₹7300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(f) "Technical Textile including Jute" – saving of ₹2700.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7300.00 lakhs).

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत बचतें कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने और व्यवहार्य परियोजनाएं प्राप्त न होने के कारण हुईं।

Savings under the above four heads were due to receipt of less demand from the implementing agencies and non-receipt of viable projects.

(छ) ''एकीकृत वस्त्र उद्यान'' - ₹19122.48 लाख की बचत (₹35000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने और कुछ वस्त्र उद्यानों की अवसंरचना पूरी न होने के कारण हुई।

(g) "Integrated Textile Parks"- saving of ₹19122.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹35000.00 lakhs) was due to receipt of less demand from the implementing agencies and non-completion of infrastructure of some Textile Parks.

(खा) ''अन्य - पटसन'' - ₹2710.44 लाख की बचत (₹15388.76 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Others – Jute" – saving of ₹2710.44 lakhs (against the sanctioned provision of ₹15388.76 lakhs) was due to receipt of less demand from the implementing agencies.

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹93.27 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 93 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹93.27 lakhs occurred constituting 93 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान के बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹64266.83 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत नवंबर, 2010 और मार्च, 2011 में ₹45702.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2.(I) The above savings were partly (₹64266.83 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹45702.00 lakhs obtained in November, 2010 and March, 2011 under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(A) Major Head "2851" -

(क) ''हथकरघा उद्योग'' -

(a) "Handloom Industries" –

(i) ''हथकरघा विकास'' - ₹1037.28 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1039.13 लाख था।

(i) "Handloom Development" – ₹1037.28 lakhs. Actual excess, however, was ₹1039.13 lakhs.

(ii) ''विपणन और निर्यात संवर्धन स्कीम'' - ₹1900.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1659.44 लाख था।

(ii) "Marketing and Export Promotion Scheme" – ₹1900.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹1659.44 lakhs.

(ख) ‘‘हस्तशिल्प उद्योग - डिजाइन और तकनीकी विकास’’- ₹656.55 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹235.00 लाख था।

(ग) ‘‘रेशम उत्पादन उद्योग - केंद्रीय रेशम बोर्ड’’- ₹7000.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹6796.84 लाख था।

(खा) मुख्य शीर्ष ‘‘2852’’ - ‘‘उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र’’ -

(क) ‘‘प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम’’ - ₹51768.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹51543.83 लाख था।

(ख) ‘‘भारतीय कपास निगम द्वारा मूल्य समर्थन के अंतर्गत कपास की अधिप्राप्ति’’ - ₹1603.00 लाख।

(गा) मुख्य शीर्ष ‘‘3602’’ - ‘‘केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम और लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग- एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम’’ - ₹302.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹300.47 लाख था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ‘‘2851’’ -

(क) ‘‘हथकरघा उद्योग’’ -

(i) ‘‘विविधीकृत हथकरघा विकास स्कीम’’ - ₹343.04 लाख का अधिक व्यय (₹387.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ‘‘2552’’ से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने, लंबित देयताओं का समाशोधन करने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(b) “Handicrafts Industries – Design and Technical Development” - ₹656.55 lakhs. Actual excess, however, was ₹235.00 lakhs.

(c) “Sericulture Industries – Central Silk Board” - ₹7000.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹6796.84 lakhs.

(B) Major Head “2852” – “Consumer Industries – Textiles” –

(a) “Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) – ₹51768.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹51543.83 lakhs.

(b) “Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under Price Support”- ₹1603.00 lakhs.

(C) Major Head “3602” – “Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Village and Small Industries – Handloom Industries – Integrated Handloom Development Scheme” - ₹302.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹300.47 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(A) Major Head “2851” –

(a) “Handloom Industries” –

(i) “Diversified Handloom Development Scheme” - excess of ₹343.04 lakhs (against the sanctioned provision of ₹387.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards clearance of pending liabilities.

(ii) "हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण स्कीम" - ₹1254.18 लाख का अधिक व्यय (₹10300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "हथकरघा उद्योग - मानव संसाधन विकास" - ₹116.13 लाख का अधिक व्यय (₹1534.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग - एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम" - ₹5989.45लाख का अधिक व्यय (₹9400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लंबित दावों का निपटान किए जाने के कारण हुआ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(ii) "Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme" – excess of ₹1254.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10300.00 lakhs); and

(b) "Handicrafts Industries – Human Resource Development" – excess of ₹116.13 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1534.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Village and Small Industries – Handloom Industries – Integrated Handloom Development Scheme" - excess of ₹5989.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9400.00 lakhs) was due to settlement of pending claims.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552"- Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	200.00	..	..	..
पु.	R.	-200.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4851"	Major Head "4851"					
ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Village and Small Industries					
मू.	O.	2663.00		2798.00	2384.01	-413.99
पु.	S.	135.00				
मुख्य शीर्ष "6860"	Major Head "6860"					
उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Loans for Consumer Industries					
मू.	O.	10051.00		20769.00	20565.00	-204.00
पु.	S.	10718.00				

(I) ₹404.00 लाख का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(I) Provision of ₹404.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "ग्राम और लघु उद्योग - हस्तशिल्प उद्योग - हस्तशिल्प भवन के लिए इमारत" - ₹200.00 लाख निविदाओं को विलंब से अंतिम रूप दिए जाने के कारण थे।

(A) Major Head "4552"- "Village and Small Industries- Handicrafts Industries – Building for Handicraft Bhawan" – ₹200.00 lakhs - due to late finalisation of tenders.

(खा) मुख्य शीर्ष "6860" - "वस्त्र - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय राष्ट्रीय वस्त्र निगम" - मार्च, 2011 में प्राप्त किया गया ₹204.00 लाख का पूरक प्रावधान माध्यस्थम् पंचाट की अदायगी की पद्धति को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण था।

(B) Major Head "6860" – "Textiles – Loans to Public Sector and Other Undertakings – National Textile Corporation of India" – supplementary provision of ₹204.00 lakhs obtained in March, 2011– due to non-finalisation of modalities for payment of arbitration award.

(II) मुख्य शीर्ष "4851" - "हस्तशिल्प उद्योग - हस्तशिल्प भवन सहित भवन का निर्माण" के अंतर्गत ₹400.00 लाख के मूल प्रावधान को मार्च, 2011 में ₹135.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹535.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹239.83 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(II) Under Major Head "4851" – "Handicraft Industries – Construction of Building including Handicraft Bhawan"- the original provision of ₹400.00 lakhs was augmented to ₹535.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹135.00 lakhs in March, 2011. However, there was a saving of ₹239.83 lakhs (including supplementary grant); and

(III) मुख्य शीर्ष ''4851'' - ''हथकरघा उद्योग - बुनकर सेवा केंद्र/भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए अवसंरचना'' के अंतर्गत ₹174.16 लाख की बचत (₹1063.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुईं।

(III) Under Major Head "4851" - "Handloom Industries - Infrastructure for Weavers Service Centre/Indian Institute of Handloom Technology"- saving of ₹174.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1063.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to slow progress by the implementing agencies.